"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, बुधवार, दिनांक 1 जून 2011 – ज्येष्ठ 11, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001
दूरभाष क्र. –0771–4073555 फैक्सः 4073553

रायपुर दिनांक 01 जून 2011

क्रमांक 37/सी.एस.ई.आर.सी./2011, विद्युत अधिनियम 2003, (वर्ष 2003 का क्र. 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा ऐसी अन्य शक्तियों, जो आयोग को इस हेतु समर्थ करती हो,का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विनियमों के पूर्व प्रकाशन के उपरांत एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता हैः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ

1.1 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अनुपालन की संवीक्षा) विनियम 2011 के नाम से जाने जावेंगे।

1.2 ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होंगे।

1.3 ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें एवं व्याख्याएं

2.1 संदर्भ से जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में:–

(ए) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्र. 36)

(बी) ''विनियमित निकाय'' से अभिप्रेत है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी, विद्युत व्यापारी और राज्य भार प्रेषण केंद्र।

2.2 उन अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनका प्रयोग इन विनियमों में किया गया है परंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, अर्थ वही होगा जो अधिनियम के अधीन उनका अर्थ है।

3. अनुपालनों की संवीक्षा

3.1 आयोग, जांच हेतु किसी भी समय, अधिनियम, नियमों तथा उनके अधीन विनिर्मित विनियमों और अपने द्वारा जारी आदेशों तथा निर्देशों के विनियमित निकायों द्वारा अनुपालन की संवीक्षा, कर सकेगा।

3.2 आयोग, युक्तियुक्त शर्तों एवं निबंधन के अधीन आदेश द्वारा, ऐसे सलाहकारों/अंकेक्षकों/अपने अधिकारियों के समूह(समूह) की सूची बनायेगा जिन्हें वह अपने इन कृत्यों के निर्वहन में सहायता हेतु आवश्यक समझे।

3.3 आयोग, या तो अपने पास सूचीबद्ध सलाहकारों, अंकेक्षकों अथवा समूह में से किसी को, संवीक्षा हेतु नियुक्त करेगा अथवा, किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपेक्षित होने पर वह, उनके चयन की नई प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

3.4 अपवादित स्थितियों में, जहां आयोग आवश्यक समझे सलाहकारों/अंकेक्षकों का चयन एकल स्रोत से कर सकेगा।

3.5 आयोग, किसी संवीक्षा को प्रारंभ किये जाने के पूर्व, सलाहकार/अंकेक्षक/समूह द्वारा की जाने वाली संवीक्षा के हेतु तथा विशिष्ट बिंदुओं पर निष्कर्ष की अपेक्षा, कार्य पूरा करने की समयावधि और सुसंगत अन्य बिंदुओं को विस्तार से सम्मिलित करते हुए निर्देश की शर्तें, निर्धारित करेगा।

3.6 आयोग, किसी विनियमित निकाय की संवीक्षा प्रारंभ किये जाने के पूर्व, अपने द्वारा निर्धारित निर्देश की शर्तों के आधार पर, किसी सलाहकार/अंकेक्षक/समूह को, आदेश द्वारा, किसी विशिष्ट कार्य का समनुदेशन करेगा।

4. सलाहकार/अंकेक्षक से अपेक्षा

सलाहकार/अंकेक्षक वृत्तिक उद्देश्यपूर्ण तथा पक्षपातरहित सलाह देंगे और हमेशा, बिना किसी भावी प्रतिफल की अपेक्षा किये, अधिनियम, नियम एवं उनके अन्तर्गत विनियमित विनियमों, आयोग के आदेशों एवं निर्देशों के पालन की जांच के संबंध में सलाह देते समय, अपने अन्य समनुदेशनों एवं कार्यों संबंधी हितों से, उसके अन्तर्विरोध पर घ्यान न देते हुए आयोग के हितों को प्राथमिकता देंगे । सलाहकारों/अंकेक्षकों को ऐसे किसी समनुदेशन के लिए अनुबंधित नहीं किया जावेगा, जो उनके अन्य पक्षकारों के प्रति उनके पूर्ववर्ती या वर्तमान उत्तरदायत्वों से परस्पर विरोधी हो, अथवा जो उन्हें आयोग के सर्वोत्तम हितों को समनुदेशन से ज्ञात करने की स्थिति में ला सके। वर्तमान उपबंधों की व्यापकता को सीमित किये बिना निम्नालिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सलाहकारों/अंकेक्षकों की नियुक्ति की जावेगीः–

(i) जिस सलाहकार/अंकेक्षक की नियुक्ति किसी एक विशेष संवीक्षा के लिए की जावे, उसका वाणिज्यिक अथवा कोई अन्य हित, उस विनियमित निकाय में ऐसे आयोग द्वारा उसे अनुबंधित किये जाने के ठीक पूर्व के दो वर्षो में न रहा हो।

(ii) संवीक्षा करते समय सलाहकार अथवा अंकेक्षक से ऐसी अपेक्षा होगी कि वह अपना कार्य इतनी ईमानदारी, स्पष्टता व्यवसायपूर्ण ढंग से, स्वतंत्रतापूर्वक और वस्तुपरक रीति से तथा योग्यता के उस स्तर तक सावधानी एवं बुद्धिमानी पूर्वक इस प्रकार करे, जो किसी योग्य व्यक्ति से, जिसे इस प्रकार की सेवाओं या अंकेक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली समतुल्य सेवाओं का पर्याप्त अनुभव हो, युक्तियुक्त ढंग से करना अपेक्षित हो।

(iii) चयनित सलाहकार अथवा अंकेक्षक से अपेक्षा होगी की वह आयोग को एक लिखित घोषणा इस आशय की दे कि उसे इन विनियमों के अधीन सौंपे गये कार्य तथा कृत्यों या उसकी प्रकृति के हितों से उसके हितों या उसे किसी अन्य द्वारा समनुदेशित अन्य कार्यों के हितों में कोई परस्पर विरोध नहीं है।

5. **व्यय**

(i) इन विनियमों के अधीन की जाने वाली किसी संवीक्षा पर होने वाला अथवा उससे जुड़े सभी व्ययों का भुगतान आयोग द्वारा किया जावेगा और तत्पश्चात् विनियमित निकाय द्वारा इसकी भरपाई आयोग को की जावेगी।

(ii) विनियमित निकाय को उपरोक्त व्ययों का दावा निम्नानुसार करने की अनुमति होगीः–

(a) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्ययों को अपने–अपने वार्षिक राजस्व अनुमानों में विकलन द्वारा मांग सकेंगे;

(b) उत्पादन कंपनियां ऐसे व्ययों का दावा टैरिफ अवधारण के आवेदन में कर सकेगी;

(c) विद्युत व्यापारी, आयोग के अनुमोदन से ऐसे व्ययों का दावा ट्रेडिंग मार्जिन के रूप में कर सकेगे;

(d) राज्य भार प्रेषण केंद्र ऐसे व्ययों का विकलन अपने वार्षिक बजट अनुमोदन में करने का दावा कर सकेगा।

6. **कार्य करने की विधि**

6.1 आयोग द्वारा, ऐसा करने के निर्देश दिये जाने पर सलाहकार/अंकेक्षक किसी भी समय, अपने एक या अधिक अधिकारियों के माध्यम से किसी विनियमित निकाय और उस निकाय द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकों, बहियों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा और उन निकायों के कार्यों की जांच ऐसी रीति से करेगा, जिसे आयोग उपयुक्त माने।

परंतु, उस विनियमित निकाय को लिखित में ऐसे निरीक्षण और/या जांच की, युक्तियुक्त पूर्व सूचना दी जावेगी।

6.2 यह प्रत्येक विनियमित निकाय का कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी लेखा पुस्तकों, बहियों और अन्य दस्तावेजों को, सलाहकारों/अंकेक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करें और उसे विनियमित निकाय के क्रियाकलापों से संबंधित उस वक्तव्य और सूचना के साथ प्रदान करें, जैसाकि उस सलाहकार/अंकेक्षक द्वारा अपेक्षित किया जावे। ऐसी जानकारी या सूचना सलाहकार/अंकेक्षक द्वारा लिखित में बताई गई समयावधि के भीतर प्रदान की जावेगी।

6.3 सलाहकार/अंकेक्षक, निर्वहित कार्यो और निष्कर्ष निकालने के लिए आधार के रूप में उपयोग करने हेतु पर्याप्त मात्रा में दस्तावेजी साक्ष्य संग्रहीत करेगा। एकत्र सूचनाएं सामान्यतः आद्योपान्त होंगी।

a) आंकडों की मांगः– संबंधित विनियमित निकाय से आंकडों की मांग ही आंकडे प्राप्त करने की प्रारंभिक विधि होगी। इस प्रकार अभिप्राप्त किये जाने वाले आंकडों में वित्तीय तथा संचालन संबंधी सूचना, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका संगठन–सारणी प्रतिवेदन, मुद्रित ई–मेल और वॉयस–मेल एवं अध्ययन सम्मिलित है। आवश्यकता के अनुरूप अभिप्राप्त किये जाने वाले आंकडे इलेक्ट्रानिक अथवा कागजी स्वरूप के हो सकते है।

b) स्थल निरीक्षणः– संबंधित विनियमित निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के समुचित अर्थान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सलाहकार/अंकेक्षक स्थल निरीक्षण करेगा। सलाहकार/अंकेक्षक संवीक्षा से सुसंगत होने पर अन्य बातों के अलावा कार्य स्थल से सामग्री एकत्र करेगा, प्रक्रिया का निरीक्षण करेगा और आमने–सामने साक्षात्कार संचालित करने के अवसर उपलब्ध करायेगा।

c) साक्षात्कारः– सलाहकार/अंकेक्षक व्यक्तिगत अथवा दूरभाष पर साक्षात्कार संचालित कर सकेगा।

d) जैसे ही विनियमित निकाय से संवीक्षा के अधीन आंकडों का संग्रहण कर लिया जाए सलाहकार/अंकेक्षक उन्हें संकलित विश्लेषित करेगा। सलाहकार/अंकेक्षक/समूह विनियमित निकाय द्वारा आयोग के समक्ष तथा अन्य लोक अभिलेखों में पूर्व में प्रस्तुत जानकारियों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सभी संसूचनाओं का विश्लेषण करेगा। मिश्रित विस्तार पत्रक तथा आंकडों का आधार तैयार करने हेतु पूर्व विश्लेषण की आवश्यकता होगी और नमूनों का उपयोग अधिनियम, नियमों, विनिर्मित विनियमों, तथा आयोग द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों के परोक्ष अपालन के परीक्षण हेतु किया जाएगा

e) तीसरे पक्ष की शिकायतें:– तीसरे पक्षकारों द्वारा की गई शिकायतों के द्वारा भी अपालन का दायरा ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्राहकों की शिकायतें।

6.4 सलाहकारों/अंकेक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आयोग को संपूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध करावें जिसमें कम से कम निम्नलिखित जानकारियों का समावेश हो:–

a) प्रतिवेदन का दायरा और उसे तैयार करने की विधि, जिसमें निर्देश की शर्तों में विनिर्दिष्ट सभी विषय सम्मिलित हो, का विवरण;

b) उन प्रणालियों एवं प्रक्रिया का विवरण जो विनियामक दायित्वों का परिपालन करते हुए स्थापित हुई हो, और जिसमें सुसंगत दस्तावेजीकरण उत्तरदायी स्थितियों की पहचान भी सम्मिलित है

c) उत्पादन संबंधी अनुपालन के विषयों और उस प्रतिवेदन हेतु विशेष रूप से चिन्हित मुद्दों को संबोधित करते हुए इस आशय का विस्तृत विवरण कि किस तरह अनुपालन का प्रबंध किया जावे;

d) चिन्हित अपालन और विनियमित निकाय द्वारा उसे दूर करने के संबंध में उठाये गये कदमों का विस्तृत विवरण और उन कदमों की पर्याप्तता का मूल्यांकन।

6.5 सलाहकार/अंकेक्षक/समूह द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिवेदन में निम्नलिखित कथन सम्मिलित होने चाहिए:–

a) सलाहकार/अंकेक्षक/समूह द्वारा प्रतिवेदन तैयार करते समय तथा निष्कर्ष निकालते समय निर्देश की शर्तों के अनुपालन किये जाने संबंधी घोषणा;

b) प्रतिवेदन में सलाहकार/अंकेक्षक का व्यवसायिक अभिमत प्रतिबिम्बित होना चाहिए;

6.6 सलाहकार/अंकेक्षक अपने प्रतिवेदन की एक प्रति विनियमित निकाय को भी प्रदान करेगा।

7. इन विनियमों के अधीन, प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आयोग, विनियमित निकाय को, ऐसा अभ्यावेदन, जो उसकी दृष्टि में तर्कसंगत हो, प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, लिखित में आदेश देगा जिसमें, प्रतिवेदन में उल्लेखित अपालन या उल्लंघन, जैसी भी स्थिति हो, पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही का विवरण भी शामिल हो।

8. कठिनाई दूर करने की शक्ति

यदि, इन विनियमों के किसी प्रावधान को प्रभावी बनाने में, कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, आयोग सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपयुक्त कदम उठायेगा, जो अधिनियम से विसंगत न हो और, जिन्हें आयोग कठिनाईयां दूर करने के लिए आवश्यक, अथवा समुचित माने।

9. संशोधन की शक्ति

आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर सकेगा।

10. अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, आयोग, समय–समय पर इन विनियमों के प्रवर्तन के संबंध में आदेश, और प्रयोग संबंधी निर्देश, जारी कर सकेगा।

नोटः ***इस विनियम के हिंदी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।***

आयोग के आदेशानुसार,

(एन.के. रूपवानी)
सचिव